# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

**पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल , आर.ए.एस.**

**राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 36 / 2021**

| **प्रार्थी** | **बनाम** | **अप्रार्थीगण** |
| --- | --- | --- |
| वेनाराम पुत्र आम्बारामजी जाति मेगवंशी निवासी रानीवाडा खुर्द तहसील रानीवाडा जिला जालोर | | 1. नारणा पुत्र जवा<br>2. पीरा पुत्र जवा<br>3. मकना पुत्र जवा निवासीयान रानीवाडा खुर्द तहसील रानीवाडा<br>4. भुमिधारी तहसीलदार रानीवाडा<br>5. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई.बैक शाखा रानीवाडा |

**अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री श्रवणसिंह देवडा।
2. अप्रार्थी संख्या 4 राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा।

## निर्णय

दिनांक – 22.03.2022

1. प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि मौजा रानीवाडा खुर्द तहसील रानीवाडा में प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1236 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1261 रकबा 0.02 हैक्ट., खसरा नम्बर 1262 रकबा 0.02 हैक्ट, खसरा नम्बर 1263 रकबा 2.58 हैक्टेयर जूमले रकबा 2.77 हैक्टेयर की आई हुई है। जिसका प्रार्थी रेकर्डेड खातेदार मालिक है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी आराजी खसरा नबंर 1236, 1261, 1262, 1263 के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 1231 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नबंर 1232 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नबंर 1233 रकबा 0.03 हैक्टर खसरा नबंर 1234 रकबा 3.54 हैक्टर जुमले रकबा 3.60 हैक्टर आई हुई है। जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के नाम से दर्ज है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 1236, 1261, 1262, 1263 व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 1231, 1232, 1233, 1234 के बीच की माठ को लेकर विवाद है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा जबरदस्ती कानुन को हाथ में लेकर माठ को नष्ट कर दिया है, जिससे मौके पर प्रार्थी की आराजी व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की आराजी की माठ अस्पष्ट होने पर प्रार्थी की ओर से श्रीमान तहसीलदार रानीवाडा से पैमाईश हेतु आदेश जारी करवाया तथा तहसीलदार रानीवाडा के आदेश क्रमांक 22 दिनांक 28.6.2021 की पालना में हल्का पटवारी रानीवाडाखुर्द सीमांकन करने हेतु दिनांक 5.7.2021 को मौके पर आये तथा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की खातेदारी की माठ पर निशान कायम किये परन्तु हल्का पटवारी द्वारा निशान कायम करने के बाद अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा उक्त निशान को खुर्द बुर्द कर मिटा दिया तथा वर्तमान में वापस मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की खातेदारी की माठ को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की आराजी की पैमाईश करवा कर उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर स्थाई सीमा चिन्ह पत्थर गडढी किया जाना न्याय हित में आवश्यक है।
2. अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौजा रानीवाडा खुर्द तहसील रानीवाडा में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 1236 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नबंर 1261 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नबंर 1262 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नबंर 1263 रकबा 2.58 हैक्टर जुमले

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:41:39 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 2.77 हैक्टर व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 1231 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नबंर 1232 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नबंर 1233 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नबंर 1234 रकबा 3.54 हैक्टर जुमले रकबा 3.60 की पैमाईश करवा कर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की उपरोक्त वर्णित खातेदारी के बीच की माठ कायम कर स्थाई सीमा चिन्ह पत्थर गड्ढी कायम करने के आदेश फरमावे।

3. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 व 5 की ओर से बाद तामिल नोटिस कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।
4. अप्रार्थी संख्या 4 की ओर राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जवाब पेश नहीं कर बहस की गई। बहस में सीमाविवाद होना स्वीकार किया गया।
5. पत्रावली मे पेश प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने व प्रार्थी अधिवक्ता व अप्रार्थी संख्या 4 के बहस के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 05.07.2021 को तहसीलदार रानीवाडा से सीमांकन करवाया गया। तथा तहसीलदार रानीवाडा ने बहस में सीमाविवाद होना स्वीकार किया। व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में भी मौके पर सीमाविवाद होना प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी मौके पर सीमा विवाद के समाधान हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अतः उपरोक्त खसरा नम्बर 1236, 1261, 1262, 1263 व 1231, 1232, 1233, 1234 के मध्य माठ वादग्रस्त होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है।

## –: आदेश :–

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि सरहद रानीवाडा खुर्द पटवारी मण्डल रानीवाडा खुर्द के खसरा नम्बर 1236, 1261, 1262, 1263 व 1231, 1232, 1233, 1234 की आराजी की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गड्डी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 7 दिवस में पालना प्रस्तुत करें। एवं आप द्वारा गठित टीम को निर्देशित करें कि दोनों पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू मोमियों नक्शा ट्रेस सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थर गड्डी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 22.03.2022 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:41:39 IST
Reason: SelfAttested